न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
लाला बनाम दलीचंद
प्रकरण संख्या – 21/2020 वाद
GCMS No. – 2020/00057

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –21/2020
GCMS No. –2020/00057

1. लाला पिता चुन्नीलाल जी जाति मीणा उम्र वरक निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
2. सुगना पुत्री चुन्नीलाल जी जाति मीणा उम्र वयरक निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. रतनी पुत्री चुन्नीलाल जी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. दलीचंद पिता बगदीया जी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. कंवरलाल पिता किशनलाल जी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. उपपंजीयन अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद तहत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1– अधिवक्ता वादीगण– श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया
2– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1– श्री दिलीप सोनावा

सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

:: निर्णय ::

दिनांक :– 16.07.2025

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए के आरजी नम्बर 1126 रकबा 0.24 हैक्टैयर भूमि में से रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि वर्तमान खातेदार कौशल्या बाई पत्नी दलीचन्द मीणा सा0देह खातेदार के बजाए वादीगण के नाम संयुरूप रूप से दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तथा रकबा शेष 0.03 हैक्टेयर भूमि बदस्तुर वर्तमान खातेदार कौशल्या बाई के नाम बदस्तुतर र रहेगा। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 16.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा